

[2024] 7 एससीआर 178 : 2024 आईएनएससी 464

नरेश कुमार

बनाम

दिल्ली राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1751/2017)

08 जुलाई 2024

[न्या. सी. टी. रविकुमार एवं न्या. संदीप मेहता]

विचारणीय विवादक

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा 313 के तहत परीक्षण के दौरान अपराध में संलिप्त करने वाली दोहरी शर्तों पर दंड संहिता, 1860 की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध अपीलकर्ता से पूछताछ न करना, यदि उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह पैदा करती है, तो यह उससे संबंधित विचारण को निष्फल करती है।

शीर्ष टिप्पणियां

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 – दंड संहिता, 1860 - की धारा 302 सहपठित धारा 34 - धारा 313 का गैर-अनुपालन - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा 313 के तहत परीक्षण के दौरान अपराध में संलिप्त करने वाली दोहरी शर्तों पर दंड संहिता, 1860 की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध अपीलकर्ता से पूछताछ न करना, जब सामान्य आशय का निष्कर्ष अपराध में संलिप्त करने वाली उपरोक्त दोहरी शर्तों पर आधारित था, यदि उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह पैदा करती है, तो यह उससे संबंधित विचारण को निष्फल करती है:

अभिनिर्धारित: हां, किसी अभियुक्त से अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों के बारे में पूछताछ न करने या अपर्याप्त पूछताछ करना स्वयं संबंधित अभियुक्त के विचारण को निष्फल नहीं करता है तथा यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि विचारण निष्फल है, यह अतिरिक्त रूप से स्थापित किया जाना है कि इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह पैदा हुआ है - धारा 313 के अंतर्गत अपीलकर्ता के परीक्षण से यह उजागर होता है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अपीलकर्ता के खिलाफ दिखाई देने वाली अपराध में संलिप्त करने वाली दोनों परिस्थितियाँ अर्थात् मृतक और उसके परिवार के अन्य लोगों के जीवन को समाप्त करने का प्रोत्साहन तथा यह साक्ष्य कि अपीलकर्ता ने मृतक के हाथ पकड़ लिए थे ताकि उसके भाई-सह-आरोपी उसे चाकू से बार-बार छुरा घोंप पाने की परिस्थिति को धारा 313 के तहत किये गए उसके परीक्षण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके सामने नहीं रखा गया था - यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या करने का सामान्य आशय साझा किया था, केवल उपरोक्त दो अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों पर आधारित था, जिन पर धारा 313 के तहत पूछताछ करते समय उसे उसके सामने नहीं रखा गया था -

- भा.दं.सं. की धारा 300 के तहत अपराध कारित करने का कोई ऐसा आरोप नहीं था जो भा.दं.सं. सी की धारा 302 के तहत दंडनीय हो, पूर्णतः अपीलकर्ता के खिलाफ, भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से उसे आरोपित किया गया था - इस प्रकार, जब सामान्य आशय का निष्कर्ष अपराध में संलिप्त करने वाली दोहरी परिस्थितियों पर आधारित था और जब उन्हें अपीलकर्ता के सामने तब नहीं रखा गया था, जब उससे धारा 313 के तहत पूछताछ की जा रही थी और जो भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से धारा 302 के तहत अंततः उसकी दोषसिद्धि में समाप्त हुआ तथा जब उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया

गया था, तो अपीलकर्ता महत्वपूर्ण रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त था और इसके परिणामस्वरूप न्याय का घोर हनन हुआ है - यह विफलता एक उपचार योग्य दोष नहीं है और यह एक पेटेंट अवैधता है जो अपीलकर्ता के संबंध में विचारण को निष्फल करती है - अपीलकर्ता की दोषसिद्धि संधार्य नहीं है, अतः बरी किया जाता है - अपीलकर्ता के संबंध में पारित निर्णय व आदेश को अपास्त किया जाता है। [पैरा 20, 21, 24, 26, 27]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 313 - अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों पर गैर-पूछताछ / अपर्याप्त पूछताछ - न्याय का पूर्वाग्रह या हनन - स्थापित करने का दायित्व:

अभिनिर्धारित: धारा 313 के तहत परीक्षण के दौरान किसी भी अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थिति(ओं) पर गैर-पूछताछ या अपर्याप्त पूछताछ के कारण पूर्वाग्रह या हनन सिद्ध करने का दायित्व संबंधित सिद्धदोष पर है। [पैरा 21]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 313 - दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम 5) - धारा 313(5) – "न्यायालय के कार्य से किसी की हानि नहीं होती" - धारा 313 के तहत गैर-परीक्षण / अपर्याप्त परीक्षण से संबंधित प्रतिविरोध अपीलकर्ता के प्रति उत्पन्न विकट पूर्वाग्रह उच्च न्यायालय के समक्ष उचित रूप से ना उठाया गया था और न ही इस पर बहस की गई थी तथा पहली बार यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था - कथित प्रतिविरोध यदि इस स्तर पर संधार्य है:

अभिनिर्धारित: धारा 313 उजागर करती है एक निर्विवाद अनिवार्यता के संग संबंधित न्यायालय द्वारा विचारण का सामना करने वाले संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य में उपस्थित अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों के

स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करना - वर्ष 2008 के संशोधन अधिनियम के तहत अंतःस्थापित धारा 313 की उप-धारा (5) इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है - साथ ही, न्यायालय का कार्य किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा - किसी गंभीर अपराध के कारित किये जाने के आरोप में जहां अभियुक्त दोषी पाए जाने की स्थिति में केवल अत्यधिक दंड अधिरोपणीय है, अभियुक्त के अधिकार(रों) की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन प्रत्येक स्थिति में किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में जहाँ विचारण को निष्फल करने में सक्षम अनिवार्य प्रक्रिया का संबंधित अभियुक्त के संबंध में गैर-अनुपालन का मामला उठाया गया है और जो अभिलेख से प्रकट होता हो, इस तथ्य के बावजूद कि इसे उचित रूप से नहीं उठाया गया था, इस पर विचार किया जाना चाहिए कि ऐसा न हो कि मामले पर विचार के उपोत्पाद के परिणामस्वरूप न्याय का हनन हो - न्याय करने के लिए स्थापित न्यायालय होने के नाते, यह न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करके न्यायालय द्वारा की गई त्रुटि पर विचार करने तथा उसे सुधारने के लिए बाध्य है कि क्या संबंधित अभियुक्त की गैर-पूछताछ या अपर्याप्त पूछताछ विकट पूर्वाग्रह या न्याय के हनन का कारण बनी। [पैरा 15, 16]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 313 - उद्देश्य:

अभिनिर्धारित: धारा 313 प्राकृतिक न्याय के हितकारी सिद्धांत को मूर्त रूप देती है जैसे दूसरे पक्षकार को भी सुना जाना साथ ही न्यायालय को अभियुक्त का परीक्षण करने का अधिकार संबंधित अभियुक्त को अभियोजन साक्ष्य में उसके खिलाफ उपस्थित होने वाली अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देना है - सामान्य स्थिति यह है कि यदि कोई भी अपराध में संलिप्त

करने वाली परिस्थिति, अभियोजन साक्ष्य में किसी अभियुक्त के खिलाफ उपस्थित होने पर, उसके सामने नहीं रखी जाती है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए और इसे विचार से अपवर्जित रखा जाना चाहिए - साथ ही, यह एक सुस्थापित स्थिति है कि किसी भी अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थिति में धारा 313 के तहत गैर-पूछताछ या अपर्याप्त पूछताछ, स्वतः, संबंधित सिद्धदोष के संबंध में विचारण को तब तक निष्फल नहीं करेगा जब तक कि इसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध विकट पूर्वाग्रह या न्याय का हनन न हो। [पैरा 11]

पद्धति एवं प्रक्रिया - किसी विशेष बिंदु पर चर्चा न करने वाला निर्णय - कथित बिंदु को प्रथम दृष्टया यह माना जाना चाहिए कि जब तक इसके विपरीत नहीं दिखाया गया है, तब तक इस पर बहस नहीं की गई है - धारा 313 के तहत गैर-पूछताछ / अपर्याप्त पूछताछ के संबंध में अपीलकर्ता का यह प्रतिविरोध की यह उसके विरुद्ध एक विकट पूर्वाग्रह पैदा करता है, यदि उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया था:

अभिनिर्धारित: आम तौर पर, यह माना जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान वास्तव में प्रस्तुत किए गए सभी तर्कों पर ध्यान दिया गया था और उचित रूप से इनसे निपटा गया था और यदि उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी बिंदु पर चर्चा नहीं की गई है, तो उस बिंदु को प्रथम दृष्टया तब तक यह माना जाना चाहिए कि जब तक इसके विपरीत नहीं दिखाया गया है, तब तक बार में इस पर बहस नहीं की गई थी - वर्तमान मामले में, हालांकि इस अपील में आधार 'ए' से 'जेड' तथा 'एए' से 'जीजी' को लिया गया था, उनमें इस प्रकार के प्रभाव का किसी भी प्रतिविरोध का वर्णन नहीं था कि प्रस्तुत किए जाने के बावजूद धारा 313 के तहत गैर-पूछताछ के

प्रतिविरोध पर विचार नहीं किया गया था तथा उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से इसका निपटान नहीं गया था, इस प्रकार, निष्कर्ष केवल यह हो सकता है कि यह तर्क नहीं दिया गया था।
[पैरा 12]

उद्धृत निर्णयज विधि

वी. के. शशिकला बनाम राज्य [2012] 10 एससीआर 641: (2012) 9 एससीसी 771; सुरेश चंद्र बिहारी बनाम बिहार राज्य [1994] पूरक 1 एससीआर 483 : एआईआर 1994 एससी 2420; वरियम सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1995] पूरक 3 एससीआर 807 : एआईआर 1996 एससी 305; अमानतुल्लाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1973 एससी 1370; शोभित चमार व अन्य बनाम बिहार राज्य [1998] 2 एससीआर 117 : एआईआर 1998 एससी 1693; ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड बनाम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी [2013] 10 एससीआर 466: (2014) 1 एससीसी 648; राज कुमार उर्फ सुमन बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) [2023] 5 एससीआर 754: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 609; पंजाब राज्य बनाम स्वर्ण सिंह 2005 पूरक 1 एससीआर 786: (2005) 6 एससीसी 101 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम 5)।

प्रमुख शब्दों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के खंड (ख) के तहत पूछताछ अनिवार्य है; धारा 302 सहपठित धारा 34, दंड संहिता, 1860 के तहत दोषसिद्धि; दंड प्रक्रिया

संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत परीक्षण; अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियां; अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों पर गैर-पूछताछ / अपर्याप्त पूछताछ; विकट पूर्वाग्रह या न्याय का स्पष्ट हनन; प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय; अभियुक्त के अधिकारों का संरक्षण; अनिवार्य प्रक्रिया का गैर-अनुपालन; अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों के आधार पर सामान्य आशय का पता लगाना; प्रबोधन; गैर-उपचार योग्य दोष; पेटेंट अवैधता; निष्फल विचारण; प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अर्थात्, "दूसरे पक्षकार को सुना जाना"; "न्यायालय के कार्य से किसी को हानि न होना"; न्यायालय का कार्य किसी के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं करेगा; उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिविरोध प्रस्तुत नहीं किया गया; प्रतिविरोध उचित रूप से नहीं उठाया गया।

मामला उद्भूत

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील सं. 1751/2017
आप.अ. सं. 540/2000 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 20.12.2016 के निर्णय व आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

श्री एस. डी. सिंह, सुश्री भारती त्यागी, सुश्री श्वेता सिन्हा, श्री राम कृपाल सिंह, श्री धीरज कुमार, श्री सिद्धार्थ सिंह, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण।

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीकांत नीलप्पा तेरदाल, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री नूर रामपाल, श्री शांतनु शर्मा, श्री मुकेश कुमार मरोरिया, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

सी.टी. रविकुमार, न्या.

1. अपराध एवं इसे करने वाले अपराधियों का उद्गम एक साथ होता है। फिर भी, आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत संबंधित अपराध के कारित होने के बारे में सकारात्मक निष्कर्ष की स्थिति में ही यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या आरोपी इसका अपराधी है। यदि आरोपी पर दोष तय करना ही है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित निर्णायक साक्ष्य पर ही आरोपी के कुछ अधिकारों को मान्यता देने वाले विभिन्न प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद ही उस पर दोष तय किया जा सकता है। ऐसी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन न करने पर, शर्तों की संतुष्टि के अधीन, विचारण भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.') की धारा 313 में निहित है। हालांकि, दं.प्र.सं. की धारा 313 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत पूछताछ विवेकाधीन है, लेकिन इसके खंड (ख) के तहत पूछताछ अनिवार्य है। कहने की जरूरत नहीं है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत पूछताछ के मामले में घातक गैर-अनुपालन, किसी आपराधिक मामले में किसी भी दोषी के लिए विकट पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप संबंधित विचारण को खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तावना आवश्यक हो जाती है क्योंकि शीर्षक वाली अपील में आगे प्रस्तुत किए गए तर्क का मुख्य आधार दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत पूछताछ के मामले में घातक गैर-अनुपालन पर आधारित है, जो अपीलकर्ता के

लिए है जो एक आजीवन दोषसिद्ध है। हम इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे।

2. अपीलकर्ता, जो सत्र वाद संख्या 3/97 में अभियुक्त संख्या 4 था, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2016 को पारित अपराधिक अपील संख्या 540/2000 में आक्षेपित निर्णय के तहत धारा 34, भा.दं.सं. की सहायता से धारा 302, भा.दं.सं. के तहत अपने दोषसिद्धि की पुष्टि को चुनौती दे रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब मृतक अरुण कुमार की बहन लक्ष्मी अपने घर का छज्जा साफ कर रही थी, तब अपीलकर्ता के घर की छत पर पानी की बूंदें गिरने को लेकर हुई बहस के परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई, जिसमें उक्त अरुण कुमार की दिनांक 14.06.1995 को रात्रि 08.45 बजे मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि छत पर पानी गिरने से क्रोधित होकर अपीलकर्ता की पत्नी मीना ने लक्ष्मी को गंदी-गंदी बातें कहीं इसके बाद मृतक ने उससे अपनी बहन को गाली देना बंद करने को कहा और फिर अपीलकर्ता ने अपने भाई महिंदर कुमार को बाहर आकर उन्हें खत्म करने के लिए उकसाया। जल्द ही महिंदर चाकू लेकर बाहर आया और अपीलकर्ता-नरेश कुमार ने अरुण कुमार को पकड़ लिया और महिंदर ने चाकू से उसकी छाती पर बार-बार वार किया। इस मामले में नेक्रोस्कोपिक साक्ष्य में अभि.सा.-17, डॉ. एलके बरुआ के मौखिक परिसाक्ष्य एवं शव परीक्षण आख्या अभि.सा. 7/क शामिल है, जिसमें प्रकट किया गया है कि मृतक को मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटें लगी थीं:

"1. छाती के सामने बाईं ओर 1.3 सेमी x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव। बाएं निप्पल के मध्यवर्ती 1-½ तिरछा ।

2. छाती के बीच में 0.3 सेमी x 0.5 सेमी x? का कटा हुआ घाव 1.5 सेमी की दूरी पर स्थित है। मध्य रेखा के दाईं ओर और दो निप्पल के बीच खींची गई रेखा के नीचे।

3. दो कटे हुए घाव 1.3 सेमी और दाएं अधिजठर क्षेत्र में एक अन्य 1.5 सेमी।

4. छाती के निचले हिस्से में बाईं ओर 9 सेमी का कटा हुआ घाव। बाएं निप्पल के नीचे 1.4 सेमी x 2.3 सेमी का कटा हुआ घाव।

5. बाएं अग्रभाग और हाथ के पिछले हिस्से पर खरोंच

6. बाईं आंख के नीचे खरोंच दिखाई दे रही है।”

3. चश्मदीद गवाहों अर्थात अनिल कुमार (अभि.सा.-7), श्रीमती प्रेम देवी (अभि.सा.-8), संजय (अभि.सा.-20), जो क्रमशः मृतक के भाई, माँ तथा चचेरे भाई हैं और श्रीमती मधु (अभि.सा.-19) और आनंद कुमार (अभि.सा.-22) के मौखिक परिसाक्ष्य के माध्यम से सामने आई घटनाओं की पुष्टि करने वाले उक्त नेक्रोस्कोपिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अन्य साक्ष्यों के अलावा, विचारण न्यायालय ने पाया कि अरुण कुमार की हत्या मानव हत्या के समान है और इसके लिए पहले आरोपी महिंदर कुमार को दोषी ठहराया गया। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम इस अपील में श्री महिंदर कुमार के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं और उनके बारे में केवल इस अपील का निपटान करने के उद्देश्य से उल्लेख किया गया था।

4. जैसा कि पहले देखा गया है, भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि उसके बाद की गई और जिसके आधार पर उसे आजीवन कारावास का

दण्डादेश दिया गया। यहां अपीलकर्ता के दण्डादेश की आपराधिक अपील संख्या 540/2000 (यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर) और आपराधिक अपील संख्या 764/2000 (महिंदर कुमार द्वारा दायर) में दिनांक 20.12.2016 के आक्षेपित सामान्य निर्णय के तहत पुष्टि की गई थी।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री एस. डी. सिंह तथा प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर को सुना गया।
6. जैसा कि पहले देखा गया है, अपीलकर्ता के तर्क का बल दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षण के दौरान अपीलकर्ता के संबंध में प्रतिकूल गैर-अनुपालन पर आधारित था। इसके विवरण में जाने से पहले, हम इस बात पर विचार करना उचित समझते हैं कि क्या अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष पहली बार इस प्रतिविरोध को उठा रहा है। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह प्रकट करे कि इस संबंध में विशिष्ट प्रतिविरोध को अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। यह सच है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में इस संबंध में एक आधार 'आधार सं. 13' के रूप में उठाया गया था जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

“13. चूँकि दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता की का उचित परीक्षण नहीं हुआ है जिससे अपीलकर्ता के लिए एक विकट पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।”

7. आक्षेपित निर्णय में यह प्रकट करने के लिए कुछ भी नहीं है कि इस बिंदु पर उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्वाग्रह स्थापित करने वाले विशिष्ट विवरणों के साथ बहस की गई थी। इस अपील में उठाए गए असंख्य

आधारों (आधार ए से जेड और एए से जीजी) से पता चलता है कि न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से, यह मूल प्रतिविरोध उनमें से किसी में भी प्रस्तुत किए गए थे। किसी भी तरह से, इस आशय का कोई आधार नहीं उठाया गया कि इस आधार को उठाने के बावजूद, उच्च न्यायालय इस पर विचार करने में विफल रहा। जो भी हो, इस न्यायालय के दिनांक 21.07.2017 के आदेश से पता चलेगा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का बयान दर्ज करते समय, उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दिखाई देने वाली कोई भी अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियां उसके सामने नहीं रखी गईं और इसने पूरे विचारण को निष्फल कर दिया। जाहिर है, इसके बाद विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया गया था, जिससे यह अपील उद्भूत हुई थी। बाद में, केवल जमानत के लिए पहले आवेदन में, निम्नलिखित प्रतिविरोध प्रस्तुत किया गया था और जमानत के लिए दूसरे आवेदन में भी इसे दोहराया गया था:

“7. यह की दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अभियुक्त के साक्ष्य बयान के पूर्ण होने पर दिनांक 6.6.2000 को दर्ज किया गया है और बयान के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि अपीलकर्ता के समक्ष कोई भी ऐसा कोई भी अपराध में संलिप्त करने वाला साक्ष्य नहीं रखा गया है जिस पर बाद में विद्वान विचारण न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के लिए विचार किया गया हो। इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ सम्पूर्ण विचारण ही प्रभावित है।”

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलीलों के दौरान प्रस्तुत किया गया कि यह तर्क अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अपीलकर्ता के खिलाफ दिखाई देने वाली दो अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों पर गैर-पूछताछ पर आधारित है। उनके जीवन को समाप्त करने का आह्वान (आज इन को जान से ही खत्म कर दे) तथा यह साक्ष्य कि 'अपीलकर्ता ने मृतक अरुण कुमार का हाथ पकड़ लिया था ताकि महिंदर कुमार उसे बार-बार चाकू से वार कर सके' और उन्होंने यह मानने के लिए आधार तैयार किया कि अपीलकर्ता ने पहले आरोपी के साथ सामान्य आशय साझा किया था और अंततः भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 300 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जो भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय है।
9. उपर्युक्त मुख्य प्रतिविरोधों को देखते हुए, हमारा विचार है कि हमें अपील में उठाए गए अन्य आधारों पर केवल तभी विचार करने की आवश्यकता है, जब अपीलकर्ता दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत गैर-पूछताछ के आधार पर सफल नहीं हो सके। हम किसी अन्य प्रासंगिक पहलू, परिस्थिति या साक्ष्य पर विचार कर सकते हैं, यदि हमें लगता है कि उपर्युक्त मुख्य प्रतिविरोध पर उचित विचार व मूल्यांकन हेतु इसकी आवश्यकता है।
10. हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसी कोई सामग्री उपस्थित नहीं है जो यह दर्शाए कि उक्त मुख्य प्रतिविरोध को उचित तरीके से उठाया तथा उच्च न्यायालय के समक्ष इस पर बहस हुई थी। उपर्युक्त अपील में, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। परिस्थितियों को देखते हुए, प्रतिविरोध को पुनर्जीवित किया गया है, हमारा विचार है कि इस पर विचार करने के लिए, उपरोक्त परिस्थितियों में इस स्तर पर इस तरह के प्रतिविरोध को संधार्य रखने के दायरे पर अधिकारियों पर एक

संक्षिप्त सर्वेक्षण करना आवश्यक है। इसके उत्तर के अधीन, हमें दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत पूछताछ के की अनिवार्यता के गैर-अनुपालन के कारण पक्षपात या न्याय की विफलता के प्रश्न पर भी विचार करना होगा।

11. इस प्रकार शामिल विवाद्यों के संदर्भ में, दं.प्र.सं. की धारा 313 के मूल उद्देश्य पर गौर करना उचित है। इस पहलू पर इस न्यायालय द्वारा कई बार विचार किया गया है, ताकि यह माना जा सके कि इसमें प्राकृतिक न्याय के एक लाभकारी सिद्धांत को समाहित किया गया है, अर्थात्, दूसरे पक्ष को सुने जाने का अधिकार और इसके तहत अभियुक्त की जांच करने के लिए न्यायालय को सशक्त बनाना संबंधित अभियुक्त को अभियोजन साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर देना है। **वी. के. शशिकला बनाम राज्य** के निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अभियुक्त का परीक्षण न केवल उसे उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उसे अपराध में अपनी कथित संलिप्तता के संबंध में अपना स्वयं का संस्करण प्रस्तुत करने की अनुमति भी देगी। इसके अतिरिक्त, यह माना गया कि इस तरह की जांच का उसके द्वारा पेश किए जाने वाले बचाव के साथ उचित संबंध होगा और इसलिए, इस तरह के परीक्षण में कोई भी विफलता उसके द्वारा किसी विशिष्ट बचाव को अपनाने की स्थिति में उसके अधिकार को कम करने का प्रभाव डाल सकती है। सामान्य स्थिति यह है कि यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थिति उसके सामने नहीं रखी जाती है, तो उसका उपयोग उसके विरुद्ध नहीं

किया जाना चाहिए तथा उसे विचार की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए। साथ ही, हम यह भी कहना चाहेंगे कि यह एक सर्वमान्य स्थिति है कि दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किसी भी अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थिति पर गैर-पूछताछ या अपर्याप्त पूछताछ, अपने आप में, संबंधित दोषी के विरुद्ध विचारण को तब तक प्रभावित नहीं करेगा, जब तक कि इससे उसके प्रति कोई विकृत पूर्वाग्रह न उत्पन्न हो या न्याय का हनन न हो। **सुरेश चंद्र बिहारी बनाम बिहार राज्य** तथा **वरियाम सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत केवल दोषपूर्ण / अनुचित परीक्षण, अभियुक्त की दोषसिद्धि को अपास्त करने का कोई आधार नहीं होगा, जब तक कि इससे अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न न हुआ हो। उक्त स्थिति को देखते हुए, जिसका तत्परता से पालन किया जा रहा है, हम इस पर अधिकार को बढ़ाना आवश्यक नहीं समझते।

12. हम पहले ही देख चुके हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उठाया गया 'आधार संख्या 13' बहुत अस्पष्ट था, इस अर्थ में कि इसमें किसी भी तरह की स्पष्टता नहीं थी कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की जांच करते समय अपीलकर्ता के समक्ष पेश न किए जाने वाले ऐसे कौन सी अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियां थी जो सामने नहीं रखी गई थी और ऐसी विफलता के परिणामस्वरूप न्याय का ऐसा कौन सा भौतिक पूर्वाग्रह या हनन हुआ है। मामले को बदतर बनाने के लिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय की जांच से यह पता नहीं चलेगा कि क्या उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त प्रतिविरोध को प्रस्तुत किया गया था, और इससे भी कम यह कि क्या यह स्थापित करने के लिए कि अपीलकर्ता के खिलाफ विचारण दोषपूर्ण था, सर्वोत्कृष्ट सामग्रियों पर

सटीकता के साथ तर्क किया गया था। प्रासंगिक स्थिति में **अमानुल्लाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना प्रासंगिक है। सामान्यतः यह माना जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान वास्तव में प्रस्तुत सभी तर्कों पर ध्यान दिया गया और उचित प्रकार से निपटा गया और यदि उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी बिंदु पर चर्चा नहीं है, तो उस बिंदु को प्रथम दृष्टया रूप से ही तर्क नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि विपरीत स्पष्ट रूप से न दर्शाया जाए, ऐसा उक्त निर्णय में माना गया था। इस मामले में यद्यपि इस अपील में ए से जेड और एए से जीजी तक के आधार लिए गए थे, लेकिन उनमें से किसी में भी इस आशय का कोई तर्क नहीं है कि उक्त प्रतिविरोध पर जोर दिए जाने के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया और उचित तरीके से निपटा नहीं गया। इसलिए, निष्कर्ष केवल यही हो सकता है कि इस पर तर्क नहीं दिया गया।

13. यह स्थिति हमें अगले प्रश्न पर ले जाती है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में खंड दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत गैर-पूछताछ / अपर्याप्त पूछताछ के आधार पर प्रतिविरोध, जो अपीलकर्ता के लिए विकट पूर्वाग्रह पैदा करता है, इस स्तर पर संधार्य है। इस संदर्भ में, शोबित चमार व अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उचित ही है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां दं.प्र.सं. की धारा 313 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन विषयगत याचिका प्रथम बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी, यदि अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न होना साबित नहीं हुआ था, तो विचारण को प्रभावित नहीं माना जा सकता था। उस मामले में, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार गैर-अनुपालन सुना गया था, अभिलेख

से पता चला कि साक्ष्यों के बयान के प्रासंगिक भाग को दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षण के दौरान अभियुक्त के सामने रखा गया था, और उसके बाद, याचिका को खारिज कर दिया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि यह भी हत्या का मामला था।

14. विचार के लिए प्रस्तुत किए गए उपरोक्त प्रश्न के आलोक में, केवल खंड धारा (1), (4) व (5) के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित है।

“313. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति - (1) प्रत्येक जांच या विचारण में, इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, न्यायालय -

(क) किसी प्रक्रम में, अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना, उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे;

(ख) अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा किए जाने के पश्चात् और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न करेगा : परन्तु किसी समन-मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी है, वहां वह खंड (ख) के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है।

(2) ...

(3) ...

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध की, जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है।

(5) न्यायालय ऐसे सुसंगत प्रश्न तैयार करने में, जो अभियुक्त से पूछे जाने हैं, अभियोजक और प्रतिरक्षा काउंसेल की सहायता ले सकेगा और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन फाइल किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।”

15. उपरोक्त उद्धृत दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत प्रावधानों के अवलोकन मात्र से ही निस्संदेह संबंधित न्यायालय पर अपरिहार्य दायित्व के साथ-साथ कर्तव्य को प्रकट करेगा कि वह संबंधित अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन साक्ष्य में दिखाई देने वाली अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों को प्रस्तुत करे और उसे स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करे। दं.प्र.सं. की धारा 313 की उप-धारा (5), जिसे दिनांक 31.12.2009 से दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम 5) के तहत समाविष्ट किया गया था, इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है। यह निम्नानुसार है: -

“धारा 313. अभियुक्त की जांच करने की शक्ति।

(5) न्यायालय, अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्नों को तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की सहायता ले सकता है और न्यायालय, इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।”

16. इस संदर्भ में, “एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवबिट” - “न्यायालय के कार्य से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा” सिद्धांत पर भी गौर किया जाना चाहिए। **ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड बनाम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी** के निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को अपनी त्रुटि सुधारनी चाहिए, न कि प्रभावित पक्ष को कहीं अन्य उपचार ढूंढने के लिए कहना चाहिए। ऊपर संदर्भित निर्णयों के संदर्भ में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक गंभीर अपराध कारित होने के आरोप में जहां अभियुक्त के दोषी पाए जाने की स्थिति में केवल अत्यधिक दंड ही अधिरोपित किया जा सकता है, अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में, ऐसे मामलों में जब संबंधित सिद्धदोष के मामले में ऐसी अनिवार्य प्रक्रिया का गैर-अनुपालन किया जाता है जो संबंधित सिद्धदोष के संबंध में विचारण को प्रभावित करने में सक्षम है तथा जब इसे उठाया जाता है और जो अभिलेख से उजागर भी होता है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद भी कि इसे उचित प्रकार से नहीं उठाया गया था जो अन्यथा मामले के विचार के उपोत्पाद के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है। न्याय प्रदान करने के लिए विद्यमान न्यायालय होने के नाते, यह न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करके न्यायालय द्वारा की गई त्रुटि पर विचार करने और उसे सुधारने के लिए बाध्य है कि क्या संबंधित

अभियुक्त की गैर-परीक्षा या अपर्याप्त परीक्षा के कारण विकट पूर्वाग्रह या न्याय का हनन हुआ है। हम यहां यह जोड़ना चाहते हैं कि हम यह नहीं अभिनिर्धारित करेंगे कि इस न्यायालय द्वारा हमेशा इस तरह की त्रुटि को इस प्रश्न की जांच करके सुधारा जाना चाहिए कि क्या विकट पूर्वाग्रह या न्याय का हनन हुआ है। इस संदर्भ में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दिखाई देने वाली अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों पर प्रश्न उठाने में चूक के परिणाम और यदि आवश्यक हो तो उन्हें ठीक करने के तरीकों के विषय पर विधि का सारांश, **राज कुमार उर्फ सुमन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)** में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रासंगिकता ग्रहण करता है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ 17 इस प्रकार है:-

“17. इस न्यायालय द्वारा दृढ़ता से अधिकथित विधि को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को विशेष रूप से व विशिष्ट रूप से और अलग-अलग प्रस्तुत करना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है। महत्वपूर्ण परिस्थिति का अर्थ है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष उसे सिद्धदोष ठहराना चाहता है;”

(ii) धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है;

(iii) न्यायालय को सामान्यतः अभियुक्त के मामले पर विचार करते समय उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों को विचार से दूर रखना चाहिए जो अभियुक्त के समक्ष नहीं रखी गई हैं;

(iv) अभियुक्त के समक्ष महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ प्रस्तुत न करना एक गंभीर अनियमितता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इससे अभियुक्त के प्रति पक्षपात हुआ है, तो यह विचारण को प्रभावित कर देगा;

(v) यदि अभियुक्त के समक्ष महत्वपूर्ण परिस्थिति प्रस्तुत करने में कोई अनियमितता न्याय की विफलता का कारण नहीं बनती है, तो यह एक सुधार योग्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, घटना की तिथि से बीता हुआ समय भी विचारणीय होगा;

(vi) यदि ऐसी अनियमितता ठीक की जा सकती है, तो अपीलीय न्यायालय भी आरोपी से उस महत्वपूर्ण परिस्थिति पर प्रश्न कर सकती है जो उसके सामने नहीं रखी गई है; और

(vii) किसी दिए गए मामले में, मामले को दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत संबंधित अभियुक्त के तृतीया बयान को दर्ज करने के चरण से विचारण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जा सकता है।

(viii) यह तय करते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त के प्रति क्या कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, प्रतिविरोध को उठाने में हुआ विलंब उन कई कारकों में से एक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

17. इस मामले में प्राप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से, राज कुमार के मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय के पैराग्राफ 20 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है और यह इस प्रकार है:-

“21. यह मानते हुए भी कि दोष या अनियमितता सुधार योग्य थी, प्रश्न यह है कि क्या आज अपीलार्थी-अभियुक्त को उक्त परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए बुलाया जा सकता है। घटना को 27 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। समय के बीतने पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि अब इस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का अतिरिक्त बयान दर्ज करने के लिए मामले को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना अन्यायपूर्ण होगा। मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता को 27 साल पहले हुई किसी बात का उत्तर देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस मामले का एक और पहलू है जिसने हमें प्रतिप्रेषण का आदेश पारित नहीं करने के लिए प्रेरित किया। उक्त कारक यह है कि अपीलकर्ता पहले ही 10 वर्ष व 4 महीने की अवधि के लिए कारावास भोग चुका है।”

18. इस मामले में, विचाराधीन घटना दिनांक 14.06.1995 को घटित हुई और इस प्रकार, जाहिर है, 29 से अधिक साल बीत चुके हैं। अपीलकर्ता पहले ही 12 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास भोग चुका है। इन परिस्थितियों में, हम दं.प्र.सं. की धारा 313 के विभिन्न पहलुओं पर विधि की स्थिति निर्धारित करने वाले उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए प्रतिविरोधों पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं।

19. इस मामले में, अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 300 के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया था, जो भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय था। दूसरे शब्दों में, स्पष्ट रूप से दोषसिद्धि दं.प्र.सं. की धारा 302 के तहत नहीं थी। हत्या कारित करने के दोषी पाए जाने पर सिद्धदोष को केवल दो कड़ा दंडों में से किसी एक, यानी मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जा सकता है। जब यह किसी अभियुक्त द्वारा हत्या या किसी अन्य गंभीर अपराध कारित करने में पाए जाने का परिणाम हो, जहां केवल समान प्रकृति का कड़ा दंड ही अधिरोपित किया जा सकता है, तो अभियोजन पक्ष के मामले में दिखाई देने वाली अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों पर अनिवार्य पूछताछ का पालन करने में विफलता, यदि साबित होती है, तो दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत गैर-परीक्षा या अपर्याप्त परीक्षा का अभिवचन, चाहे अभियुक्त के लिए विकट पूर्वाग्रह या न्याय की कुल विफलता के परिणामस्वरूप, न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं की जाएगी या ध्यान में रखने से इनकार नहीं की जाएगी।
20. हम पहले ही देख चुके हैं कि अपराध में संलिप्त करने वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ जैसे (1) अरुण कुमार और उसके परिवार के अन्य लोगों को मारने के लिए अपीलकर्ता को उकसाना (2) उसने मृतक को पकड़ लिया था ताकि मोहिंदर कुमार बार-बार उसकी छाती पर चाकू से वार कर सके, कथित तौर पर दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत उसकी परीक्षा के दौरान अपीलकर्ता के सामने नहीं रखी गई। अपीलकर्ता के सामने न रखी जाने वाली अपराध में संलिप्त करने वाली दो परिस्थितियों में से पहली परिस्थिति वस्तुतः उसके खिलाफ विरचित आरोप था कि मोहिंदर कुमार और अपीलकर्ता के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए मृतक

अरुण कुमार को अपीलकर्ता ने पकड़ लिया और दूसरे अभियुक्त मोहिंदर कुमार ने मृतक अरुण कुमार पर चाकू से वार किया और उसकी हत्या कर दी। अपीलकर्ता द्वारा उकसाने से संबंधित अपराध में संलिप्त करने वाली पिछली परिस्थितियाँ अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप का हिस्सा नहीं थीं। इस स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि क्या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अपराध में संलिप्त करने वाली उपर्युक्त दो परिस्थितियाँ दिखाई दीं और क्या उन्हें धारा दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षा के दौरान अपीलकर्ता के सामने रखा गया था, ताकि उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके, ये तर्क के विषय नहीं हैं क्योंकि अभिलेख पर उपस्थित सामग्रियों के अवलोकन मात्र से ही, जैसे कि प्रत्यक्षदर्शियों के मौखिक परिसाक्ष्य व दं.प्र.सं. की धारा 313 अपीलकर्ता की परीक्षा से उक्त तर्कों की सत्यता या अन्यथा का पता चल जाएगा। अनिल कुमार (अभि.सा.-7), श्रीमती प्रेम देवी (अभि.सा.-8), श्रीमती मधु (अभि.सा.-19) और आनंद कुमार (अभि.सा.-22) के मौखिक परिसाक्ष्य से पता चलता है कि उन्होंने अपीलकर्ता के उकसावे के बारे में गवाही दी है, हालांकि थोड़े अलग तरीके से, और इस तथ्य के बारे में भी कि उसने मृतक को पकड़ लिया था ताकि मोहिंदर कुमार मृतक की छाती पर बारम्बार चाकू मार सके। दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता की परीक्षा, जो अभिलेख पर उपलब्ध है, से पता चलता है कि दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षण करते समय अपीलकर्ता के सामने दोनों ही तरह की अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं रखी गई थी। प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता निष्पक्ष रूप से स्वीकार करेंगे कि अभिलेख पर उपस्थित उक्त सामग्री अपीलकर्ता के तर्कों की सत्यता को प्रकट करेगी।

21. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि किसी अभियुक्त से अपराध से संलिप्त करने वाली परिस्थितियों के बारे में पूछताछ न करना या अपर्याप्त पूछताछ करना अपने आप में संबंधित अभियुक्त के मामले में विचारण को निष्प्रभावी नहीं बनाता है और उसके मामले में विचारण को निष्प्रभावी मानने के लिए यह स्थापित करना होगा कि इससे अभियुक्त के प्रति विकट पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। यह सत्य है कि धारा दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षा के दौरान किसी भी अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थिति के बारे में पूछताछ न करने या अपर्याप्त पूछताछ के कारण पूर्वाग्रह या हनन को स्थापित करने का दायित्व संबंधित सिद्धदोष पर है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि अगर किसी अभियुक्त को अंततः बरी कर दिया जाता है, तो उसके पास यह मामला नहीं हो सकता कि उसके साथ पूर्वाग्रह था या इस तरह की पूछताछ न करने या अपर्याप्त पूछताछ के कारण न्याय का हनन हुआ था।
22. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में, हम इस अतिरिक्त प्रश्न पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं कि क्या दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता की परीक्षा के दौरान उससे उपरोक्त अपराध में संलिप्त करने वाली दोहरी परिस्थितियों पर प्रश्न न पूछे जाने से उसके प्रति विकट पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ था। **पंजाब राज्य बनाम स्वर्ण सिंह** में इस न्यायालय का निर्णय हमें पूर्वाग्रह के प्रश्न पर विचार करते समय एक अन्य कारक पर विचार करने के लिए बाध्य करता है। **स्वर्ण सिंह** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां साक्ष्यों के साक्ष्य अभियुक्तों की उपस्थिति में दर्ज किए जाते हैं, जिनके पास उनसे प्रतिपरीक्षण करने का अवसर था, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत तथ्यों के संबंध में उनसे प्रतिपरीक्षण नहीं किया, तो ऐसे साक्ष्यों के

साक्ष्य के बारे में अभियुक्त से प्रश्न न करने से ऐसे अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होगा और इसलिए इसे संबंधित सिद्धदोष के संबंध में विचारण को प्रभावित करने वाले आधार के रूप में नहीं माना जा सकता। हम पहले ही पा चुके हैं कि अनिल कुमार (अभि.सा.-7) प्रेम देवी (अभि.सा.-8), श्रीमती मधु (अभि.सा.-19) व आनंद कुमार (अभि.सा.-22) ने उक्त परिस्थितियों के बारे में बयान दिया है। अभिलेख पर उपलब्ध उनके मौखिक परिसाक्ष्य की जांच करने पर निस्संदेह पता चलता है कि दोनों बिंदुओं पर अपीलकर्ताओं की ओर से उनसे प्रतिपरीक्षण किया गया था।

23. उपरोक्त स्थिति हमें अंतिम प्रश्न पर ले जाएगी कि क्या अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराध में संलिप्त करने वाली परिस्थितियों पर उससे पूछताछ न करने के कारण विकट पूर्वाग्रह हुआ था और इस प्रकार उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिला। इस प्रश्न पर विचारण न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 31 का संदर्भ देकर बेहतर ढंग से विचार किया जा सकता है, जिसे आक्षेपित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय से वस्तुतः पुष्टि प्राप्त हुई थी। यह इस प्रकार है:-

31. जहां तक अभियुक्त नरेश द्वारा निभाई गई भूमिका का प्रश्न है, अभि.सा. के साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि वह (नरेश) वह व्यक्ति है, जिसने अपने भाई महिंदर को फोन किया और कहा कि "महेंद्र बाहर आकर उन्हें आज मार डालो" और उसके बाद मृतक अरुण कुमार को पकड़कर घटना में उसका भाग लेना, स्पष्ट रूप से दोनों यानी नरेश व महिंदर के 'सामान्य आशय' को दर्शाता है और यहां तक कि विद्वान प्रतिरक्षा अधिवक्ता को भी उपरोक्त उल्लेखित निर्णयों से कोई लाभ नहीं मिल सकता है।"

24. विचारण न्यायालय के निर्णय से उद्धृत पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक अरुण कुमार की हत्या करने का सामान्य आशय रखने का निष्कर्ष केवल अपराध में करने वाली दोनों उपरोक्त परिस्थितियों पर आधारित था, जो धारा दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत पूछताछ के दौरान अपीलकर्ता के सामने नहीं रखी गई थी। जबकि उसके खिलाफ विरचित आरोप, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, से पता चलता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा भा.दं.सं. की धारा 300 के तहत अपराध कारित करने का कोई आरोप नहीं था, जो भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय है जबकि उक्त आरोप भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से लगाया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, जब सामान्य आशय का निष्कर्ष अपराध में संलिप्त करने वाली दोहरी परिस्थितियों पर आधारित था और जब धारा दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत उनसे पूछताछ की जा रही थी, तब उन्हें अपीलकर्ता के सामने नहीं रखा गया था, और जब वे अंततः भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि में परिणत हुए, और जब उसे परिणामस्वरूप आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, तो केवल यह माना जा सकता है कि अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला था और इसके परिणामस्वरूप न्याय का स्पष्ट रूप से हनन हुआ। उपरोक्त विफलता एक सुधार योग्य दोष नहीं है और यह अपीलकर्ता के विचारण को प्रभावित करने वाली एक स्पष्ट अवैधता के अतिरिक्त और अन्य कुछ नहीं है।
25. एक बार जब चर्चा का परिणाम ऊपर दिया जाता है, तो हम अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए असंख्य आधारों पर विचार करना उचित नहीं समझते हैं, न केवल इसलिए कि यह अनावश्यक हो गया है, बल्कि इस तरह के विचार से सह-अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी अपील का निर्णय भी उसी सामान्य निर्णय के तहत किया गया था जो इस अपील में आक्षेपित किया गया था।

26. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विचाराधीन घटना 29 वर्ष से अधिक पहले घटित हुई थी और अपीलकर्ता पहले ही 12 वर्ष से अधिक कारावास की सजा भोग चुका था। ऐसी परिस्थितियों में, यदि उसे फिर से दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षा के अधीन किया जाता है, तो अपीलकर्ता के साथ हुई स्पष्ट अवैधता के मद्देनजर यह उसके लिए और अधिक प्रतिकूल होगा। इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती।
27. उपरोक्त कारणों से, अपील सफल होनी चाहिए। तदनुसार, अपीलकर्ता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय व उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह निर्णय अन्य अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बाधित नहीं करेगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस अवलोकन को उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि के रूप में नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिस पर उसके द्वारा दायर अपील, यदि कोई हो, में विचार किया जा सकता है। इसमें अपीलकर्ता अपने खिलाफ कथित अपराधों से बरी हो जाता है। यदि किसी अन्य मामले के संबंध में उसको निरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।
28. उपरोक्त शर्तों पर अपील स्वीकृत।
29. लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.